सं0–५०१ /26–ब0प्र0–2010–10(71)/2005

प्रेषक,

भवनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण लखनऊ : दिनांक : 10 मई 2010

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 में कोल जाति समूह के लिये विशेष उत्थान कार्यक्रम, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं देखभाल तथा बच्चों के लिए निःशुल्क बस्ता, लेखन सामग्री, वस्त्र, ड्रेस ,साइकिल आदि के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–34/स0क0/विकास/को0 जा0/ 2010–2011, दिनांक 12–4–2010 के संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 में वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने हेतु वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010, दिनांक 26–3–2010 जिसमें विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं,तथा सभी विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालय, उ0प्र0 को दृष्टांकित किया गया है,में दिये गये दिशा निर्देशों के अधीन आय–व्ययक 2010–11 की अनुदान संख्या–83 में कोल जाति के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित विशेष उत्थान कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न विवरण के अनुसार रू0 3,39,75,000/– (रूपया तीन करोड़ उन्तालिस लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

अनुदान संख्या–83–आयोजनागत (रूपये हजार में)

लेखा शीर्षक/योजना/मद का नाम	स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष
2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	
80–सामान्य	
789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
03–कोल जाति के लिए विशेष उत्थान कार्यक्रम	
0301–रोजगार सृजन, प्रशिक्षण एवं अवस्थापना सुविधा	
20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता–	6625
0302–बच्चों को निःशुल्क बस्ता, लेखन सामग्री, वस्त्र, ड्रेस तथा साइकिल–	
20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता–	247[illegible]
0303– चिकित्सा, स्वास्थ्य रक्षा एवं देखभाल	
20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता–	24[illegible]
योग–03–	33975
योग–789–	33975

(रूपये तीन करोड उन्तालिस लाख पचहत्तर हजार मात्र)

(1) जनपदों को धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व जिलाधिकारियों से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेगें कि योजनान्तर्गत प्रस्तावित ग्रामों में कोल जाति की बाहुल्यता है तथा प्रस्तावित कार्य किसी अन्य योजना अथवा कार्यक्रम में आच्छादित/प्रस्तावित नहीं है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबंधों एवं इस संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। किसी भी दशा में स्वीकृत की जा रही धनराशि योजना से भिन्न मदों पर व्यय नहीं की जायेगी। शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का पुर्नविनियोजन न किया जाये तथा वित्त विभाग के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26–3–2010 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(3) स्वीकृति की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय तभी किया जायेगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में स्वीकृति धनराशि का सम्पूर्ण व्यय कर लिया गया है और उपयोग/उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। कोई धनराशि पी0एल0 ए0/बैंक/डाकखाना में व्यय हेतु अवशेष जमा नहीं है।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उपर्युक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को प्रत्येक माह में उपलब्ध कराया जायेगा तथा व्यय की गई धनराशि का नियमानुसार महालेखाकार कार्यालय से पुस्तांकित कराया जायेगा।

(6) यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010, दिनांक 26–3–2010 द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भवनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या– 401 (1)/26–ब0प्र0–2010– तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद
2– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद
3– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कलेक्ट्रेट कैसरबाग, लखनऊ।
4– वित्त(व्यय–नियंत्रण)अनुभाग–3/ वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
5– निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव।